प्रेस नोट थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर दिनांक 13.10.2025

हत्या का अपराध करने के आरोप में 02 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार, कब्जे से आलाकत्ल गड़ासी बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पिरगंज के पर्यवेक्षण में, प्रभारी निरीक्षक पीपीगंज के नेतृत्व में, प्रभारी एण्टी थेप्ट सेल, प्रभारी एस0ओ0जी0/स्वाट व प्रभारी सर्विलांस सेल के सहयोग से थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 337/2025 धारा 103(1)/238 भा0न्या0सं0 से सम्बन्धित अभियुक्ता 1.खुशी कुमारी पुत्री परदेशी उर्फ राजेश निवासिनी ग्राम भुईधरपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर व 2. उत्तरा देवी पत्नी परदेशी उर्फ राजेश निवासिनी भुईधरपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया एवं अभियुक्ता की निशानदेशी पर आलाकत्ल गड़ासी व साइकिल बरामद किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.09.2025 थाना पीपीगंज क्षेत्रान्तर्गत एक बुजुर्ग महिला का शव मिला, जिसके जिसके संबंध में मृतका की बहु से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

पूछताछ के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादिनी मुकदमा/अभियुक्ता उत्तरा देवी की यह दूसरी शादी थी, उत्तरा देवी की शादी में पूर्व में बंगाल में किसी से हुई थी जिससे उसकी एक बेटी खुशी कुमारी थी। अभियुक्ता उत्तरा देवी व उसकी बेटी खुशी कुमारी द्वारा बताया गया कि मृतका हमेशा इस बात का ताना मारती थी कि तुम दुसरे की लड़की हो, बंगालीन और हम दोनों के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करती थी एवं हमेशा प्रताड़ित करती थी एवं खुशी कुमारी की पढ़ाई भी छुडवा दी थी। जिसकी शिकायत पिता से करने पर वो कुछ नही बोतले थे। प्रताड़ना से तंग आकार खुशी कुमारी द्वारा जब उसकी मां उत्तरा देवी बाहर गयी हुई थी और घर पर कोई नही था अपनी दादी को मढ़ई में सोते हुए गड़ासी से सर काटकर हत्या कर दी। जब उत्तरा देवी आई तो उसको हत्या की बात बताई। दोनों ने मिलकर अन्धेरा होने पर मृतका को बोरे में भरकर साइकिल से ले जाकर गांव के बाहर फेक दिया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

1. खुशी कुमारी पुत्री परदेशी उर्फ राजेश निवासिनी ग्राम भुईधरपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. उत्तरा देवी पत्नी परदेशी उर्फ राजेश निवासिनी भुईधरपुर थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0स0 337/2025 धारा 103(1)/238 भा0न्या0सं0 थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

1. 01 अदद आलाकत्ल गड़ासी
2. 01 अदद साइकिल

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रभु दयाल सिंह थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2. प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार राय एन्टी थेप्ट सेल जनपद गोरखपुर
3. उ0नि0 राजमंगल सिंह प्रभारी एस0ओ0जी जनपद गोरखपुर
4. उ0नि0 छोटे लाल राय प्रभारी सर्विलांस सेल मय टीम जनपद गोरखपुर
5. उ0नि0 बादल प्रसाद थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
6. उ0नि0 विपिन बिहारी थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
7. हे0का0 मोहसीन एन्टी थेप्ट सेल जनपद गोरखपुर
8. हे0का0 सत्येन्द्र भाष्कर एन्टी थेप्ट सेल जनपद गोरखपुर
9. हे0का0 धर्मेन्द्र तिवारी एन्टी थेप्ट सेल जनपद गोरखपुर
10. हे0का0 अनिल सिंह यादव एन्टी थेप्ट सेल जनपद गोरखपुर
11. हे0का0 राम इकबाल राय एस0ओ0जी जनपद गोरखपुर
12. हे0का0 अरूण खरबार एस0ओ0जी जनपद गोरखपुर
13. हे0का0 करूणापति तिवारी एस0ओ0जी जनपद गोरखपुर
14. हे0का0 दुर्गेश मिश्र एस0ओ0जी जनपद गोरखपुर
15. हे0का0 अरूण यादव सर्विलांस सेल जनपद गोरखपुर
16. का0 प्रिन्स राय एस0ओ0जी जनपद गोरखपुर
17. का0 रमेश कुशवाहा एन्टी थेप्ट सेल जनपद गोरखपुर
18. का0 उमेश यादव थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर
19. म0का0 रितु कश्यप थाना पीपीगंज जनपद गोरखपुर